

## पश्चिम रेलवे

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम  
दिनांक - 15/03/2021संख्या - ईटी/839/4 / Guard-MVI-TNC (एमएसीपीएस)  
(e-office No.-12780)

## कार्यालय आदेश

विषय - आशोधित सुनिश्चित केरीयर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन अराजपत्रित कर्मचारी -परिचालन विभाग रतलाम मण्डल।

सन्दर्भ- महा प्रब. (स्था.) चर्चगेट का पत्र सं. - EP/890/0/1 VOL-VI, E/PC/767/0 क्र.सं. 99 दिनांक 18/29-06-2009 (पीएस सं.- 109/09 ) द्वारा परिपत्रित रेलवे बोर्ड का पत्र सं. - पीसी-6/2009, एपीसी/2 (पीसी-6-10) एवं (आरबीई सं. - 101/09) दिनांक 10.06.2009

\*\*\*\*\*

रेलवे बोर्ड के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में निहित शर्तों निर्देशों के तहत जिन कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से 10, 20, 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अगली वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने के लिए स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक हुई। सेवारिकार्ड एवं अन्तिम तीन वर्षों की वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के आधार पर बैंचमार्क के अनुसार निम्न कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन हेतु उपयुक्त पाया गया उन्हें उनके नाम के सामने दर्शाये दिनांक से वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है।

क्र.सं.	पीएफ नं.	नाम सर्वश्री	पद	स्टेशन	वर्तमान वेतन			वित्तीय उन्नयन पर वे.नि.			टिप्पणी
					लेवल	वेतन	दिनांक	लेवल	वेतन	दिनांक	
1	50800500085	दयाल सिंह बिष्ट	Sr.GG	DADN	5	44100	01.07.18	6	46200	29.09.18	II MACPS
								6	46200	04.06.19	Sr.GG में नियमित पदोन्नति
								6	47600	01.07.19	वा. वेतन वृद्धि
								6	49000	01.07.20	वा. वेतन वृद्धि
2	50890822608	राम कुमार मिश्रा	MVI	UJN	6	44900	01.07.19	7	46200	27.01.20	II MACPS
								7	49000	01.07.20	विकल्पानुसार
								7	50500	01.01.21	वा. वेतन वृद्धि
3.	50815265754	कमल कुमार दवे	Retd. DMVI (VR Dt.16.08.18)	RTM	8	88700	01.07.17	9	90300	16.02.18	III MACPS
								9	95800	01.07.18	विकल्पानुसार

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण उनके हित को ध्यान रखते हुए विकल्पानुसार किया गया है एवं रेलवे बोर्ड के पत्र सं.- PC-VII/2017/R-I/7 दिनांक 18.12.2019 (आरबीई नं.-212/2019) के निर्देशानुसार विकल्प पर वेतन निर्धारण के पश्चात, अगली वेतन वृद्धि 06 माह बाद प्रदान की गई है। यदि उक्त 06 माह की अवधि में कोई कर्मचारी 01 दिन या अधिक दिन अनुपस्थित/अवैतनिक रहा है, तो उसे अगली वेतन वृद्धि 6 माह पश्चात प्रदान नहीं की जावे, सम्बंधित पर्यवेक्षक ऐसे कर्मचारियों की सूचना इस कार्यालय को शीघ्र भेजे। यदि किसी कर्मचारी को उनके वेतन निर्धारण के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो अपना विकल्प /प्रतिवेदन 01 माह के अन्दर उचित माध्यम से दे सकते हैं। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा, उसके पश्चात उसमें कोई संशोधन करना सम्भव नहीं होगा। निर्धारित एक माह की समयवधि के पश्चात प्राप्त विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगा। वित्तीय उन्नयन पर पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं ना ही वर्गीकरण परिवर्तित होगा। वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के व्यक्तिगत आधार पर है। इससे वरीयता का कोई सम्बंध नहीं है व कनिष्ठ कर्मचारी का अधिक वेतन होने पर इस आधार पर वरिष्ठ कर्मचारी को स्टेपिंग अप की पात्रता नहीं होगी। तदनुसार सर्वसम्बंधितों को नोट कराया जावे।

उपरोक्तानुसार कर्मचारियों के वेतन का भुगतान/कटौती किया जावे।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। यह आदेश ई-समाधान पर भी उपलब्ध है।

(दीपक परमार)

मण्डल कार्मिक अधिकारी

कृते-मं.रे.प्रब.(स्था.) रतलाम

प्रतिलिपि /- वरि.मं.वित्त प्रब, वरि.मं.परि.प्रब, मं.परि.प्रब, रतलाम सहा.मं.परि.प्रब, रतलाम  
डीटीआई रतलाम / समस्त टीआई - रतलाम मण्डल

समस्त स्टेशन प्रबंधक/अधीक्षक रतलाम मण्डल

मु.का.अधी. (वेतन, प्राईम) सेवापुस्तिका लिपिक- ईटी

मं.मंत्री- वेरेमसं, वेरेएयू, सचिव-अजा/अजजा/ ओबीसी एसो. रतलाम

मं.मंत्री-वेरेएयू को उनके पत्र सं.ईयू/रतलाम/19/डीएडीएन/33 दिनांक 11.08.19 के संदर्भ में सूचनार्थ।